न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर

प्र. क्र

कलेक्टोरेट शाजापुर
22 MAY 2012
अधीक्षक / कलेक्टर

(1) उदयसिंह उम्र 55 वर्ष
(2) करणसिंह उम्र 50 वर्ष
(3) उमरावसिंह उम्र 45 वर्ष
पुत्रगण छतरसिंह जाति राजपूत
धंधा कृषि निवासी ग्राम ऊंचवास
तह. बड़ौद जिला शाजापुर
.... प्रार्थीगण

विरुद्ध

(1) कानसिंह पिता भगवानसिंह
उम्र 60 वर्ष जाति राजपूत
धंधा कृषि निवासी ग्राम ऊंचवास
तह. बड़ौद जिला शाजापुर
(2) राजस्व निरीक्षक वृत्त 1
तहसील बड़ौद जिला शाजापुर
.... विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.
<u>न्यायालय तहसील बड़ौद के सीमांकन प्रकरण क्रमांक 15 अ 12/11–12 में किये गये सीमांकन दिनांक 16/03/2012 से दुःखी हो निग्रानी अर्ज</u>

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार निग्रानी ज्ञापन प्रस्तुत हैं –:

–: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

प्रार्थीगण ग्राम उंचवास की भूमि क्रमांक 617/1, 1003/1, 1023/1, 1190/1, 1193/1 के भूमि स्वामी हैं तथा विपक्षी कानसिंह पिता भगवानसिंह भूमि क्रमांक 617/2, 1003/2, 1190/2, 1193/2 का भूमिस्वामी हैं। उभय पक्ष की भूमियों का नक्षे में बटांकन नहीं हुआ न ही नक्षे में बटांकन तरमीम किये जाने का कोई आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हैं, प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17/4/2012 को विवादीत भूमि क्रमांको के नक्षे की प्रमाणित नकल ली उसमें भी कोई भी तरमीम भूमि क्रमांक 617, 1190, 1193 में नहीं हैं लेकिन विपक्षी द्वारा मनमाने तरिके से अच्छी भूमि का कब्जा लेने के लिये विपक्षी क्रमांक 2 को प्रभाव में लेकर नक्षे में मनमानी तरमीम डाट लाईने डालकर उठा ली औंर सीमांकन कर दिया जिसके परिणाम स्वरुप विपक्षी क्रमांक 1 भूमि पर जेसीबी से खाई खोदकर सीमा कायम करने की तैयारी करने लगा इससे दुःखी हो निग्रानी अर्ज पेश हैं –

क्रमशः –2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4409-एक/12 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	